

PRESS RELEASE

हापुड पुलिस

दिनांक:-सितम्बर 19, 2019

थाना बहादुरगढ पुलिस ने थानाक्षेत्र में विभिन्न ट्यूबवैलों से चोरी किये हुए भारी मात्रा में (स्टार्टर,ऑपरेटर,ढक्कन,प्लेट,तांबे का तार) आदि सामान सहित दो अभियुक्तों को किया गिरफ्तार

❖ संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.09.2019 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड के आदेशनुसार व श्रीमान क्षेत्राधिकारी महोदय गढमुक्तेश्वर कुशल निर्देशन व थाना प्रभारी महोदय की देखरेख में उ0नि0 सुधीर कुमार मय फोर्स के तलाश माल मुल्जिमान मुकदमा उपरोक्त में मामूर था कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की क्षेत्र में जो ट्यूबवैलो से स्टार्टर, मोटर व अन्य सामान चोरी हुए है उनको विनोद उर्फ भोला पुत्र दीवन सिंह नि0 कस्बा व थाना बहादुरगढ जनपद हापुड ने अपने साथियों के साथ मिलकर चोरी की है व चोरी का सामान अपने मकान कस्बा बहादुरगढ में छिपा कर रखा है भोला व उसके साथी भोला के घर पर मौजूद है, जो चोरी किये गये सामान को बेचने के लिये कही जाने वाले है। सूचना पर यकीन करके मुझ उ0नि0 द्वारा मय फोर्स के भोला के घर पर दबिश दी गई तो एक व्यक्ति अंधेरा का फायदा उठाकर भागने में सफल रह । व दो व्यक्तियों को कमरे में चोरी के सामान के साथ गिरफ्तार किया गया ।

❖ पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि यह सामान हम तीनों ने मिलकर जंगल ग्राम भदस्याना, सेहल, चौदनेर, आलमनगर, हाजीपुर, जमालपुर, स्याना, सिम्भावली व गढमुक्तेश्वर के जंगल में स्थित ट्यूबवैलों से चोरी किया है।

❖ गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

- 1- भोला उर्फ विनोद पुत्र दीवान सिंह निवासी कस्बा व थाना बहादुरगढ जनपद हापुड
- 2- ननुवा पुत्र अल्ला रक्खा निवासी औरंगाबाद थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

❖ मौके से फरार अभियुक्त का नाम पता:-

- 1- बॉबी पुत्र शरन निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

❖ बरामदगी का विवरण:-

34 स्टार्टर बाक्स, 34 स्टार्टर ढक्कन, 34 स्टार्टर ऑपरेटर, 26 स्टार्टर प्लेट, 9 स्टार्टर घड़ी, दो कि0ग्रा0 तांबे का तार, 02 फुटवाल मय बेन्ड, एक बेन्ड दो रूलर मोटर मय पुली . एक अदद पाईप लोहा 4 इंची आदि।

❖ गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास:-

1. भोला उर्फ विनोद उपरोक्त
 - 1- मु0अ0सं0 23/15 धारा 380,457,411 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड
 - 2- मु0अ0सं0 31/17 धारा 380,457 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड
 - 3- मु0अ0सं0 276/18 धारा 379,411 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड
 - 4- मु0अ0सं0 172/19 धारा 380,411,414 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
2. ननुवा पुत्र अल्ला रक्खा उपरोक्त
 - 1- मु0अ0सं0 172/19 धारा 380,411,414 भादवि थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
 - 2- मु0अ0सं0 46/12 धारा 3/4 पशु क्रूरता व 3/5 गौवध निवारण अधिनियम थाना भावनपुर जनपद मेरठ।

❖ गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

- 1- उ0नि0 सुधीर कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
- 2- उ0नि0 अमित कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
- 3- है0कां0 204 कृष्णपाल सिंह थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
- 4- कां0 112 रणवीर सिंह थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।
- 5- कां0 293 बबलु कुमार थाना बहादुरगढ जनपद हापुड।